

### प्ररूप -3

[ देखिए नियम 24 ]

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) का कार्यालय \_\_\_\_\_

#### निर्वाचन का नोटिस

संख्या \_\_\_\_\_ हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन नियम, 1994, के नियम 24) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, \_\_\_\_\_ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) \_\_\_\_\_ इस के साथ संलग्न अनुसूचि के खाना (2) में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत के सरपंच के निर्वाचन के सम्बन्ध में इसके द्वारा नोटिस देता हूँ :-

- (क) खाना (2) में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत के लिए अनुसूचि के खाना (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी ( जिसे इसमें इसके बाद ग्राम पंचायत के लिए कहा गया है) का \* \_\_\_\_\_ ग्राम पंचायत के सरपंच के निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) होना;
- (ख) उसकी ग्राम पंचायत के लिए खाना (4) में विनिर्दिष्ट तिथि तथा समय का नामांकनों के लिए अन्तिम तिथि तथा समय का होना;
- (ग) ग्राम पंचायत के सामने खाना (5) में विनिर्दिष्ट तिथि तथा समय का नामांकनों की जांच के लिए तिथि तथा समय का होना;
- (घ) ग्राम पंचायत के लिए खाना (6) में विनिर्दिष्ट स्थान की तैयारी के लिए और नामांकनों की जांच का स्थान होना;
- (ङ०) ग्राम पंचायत के लिए खाना (7) में विनिर्दिष्ट तिथि तथा समय का नामांकनों की वापसी के लिए तिथि तथा समय का होना;
- (च) ग्राम पंचायत के लिए खाना (8) में विनिर्दिष्ट तिथि तथा समय का वह तिथि तथा समय होना जिसके दौरान मतदान कराया जायेगा;
- (छ) ग्राम पंचायत के लिए खाना (9) में विनिर्दिष्ट तिथि तथा समय का मतों की गणना के लिए तिथि तथा समय होना;
- (ज) ग्राम पंचायत के लिए खाना (10) में विनिर्दिष्ट स्थान का मतों की गणना के लिए स्थान का होना ।

## अनुसूचि

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	रटनिंग अधिकारी (पंचायत) का नाम तथा पदनाम	नामांकन करने के लिए स्थान अन्तिम तिथि	नामांकनों की जांच के लिए तिथि तथा समय	नामांकनों की तैयारी तथा जांच के लिए सीन तथा समय	नामांकनों की वापसी के लिए तिथि तथा समय	तिथि तथा समय जिसके दौरान मतदान कराया जाएगा	मतों की गणना के लिए तिथि तथा समय	मतों की गणना के लिए स्थान
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

\* यहां पंचायत का नाम विनिर्दिष्ट करें।

स्थान \_\_\_\_\_

समय \_\_\_\_\_

जिला निर्वाचन अधिकारी  
(पंचायत) \_\_\_\_\_